भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28

# *सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश*

*(इस भारतीय लेखा मानक में **मोटे** टाइप एवं सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है । मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)*

## उद्देश्य

1 इस मानक का उद्देश्य सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) में निवेशों के लिए लेखा निर्धारित करना तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स)एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के लेखे के समय 'इक्विटी' विधि के प्रयोग की अपेक्षाओं को निश्चित करना है ।

## कार्यक्षेत्र

2 यह मानक उन सभी प्रतिष्ठानों द्वारा लागू किया जाएगा जो निवेशक हैं और उनका एक निवेशिती पर संयुक्त नियंत्रण है या फिर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव है।

## परिभाषाएं

3 इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है:

एक *सहयोगी प्रतिष्ठान* (एसोशिएट) वह प्रतिष्ठान है जिस पर निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है ।

*समेकित वित्तीय विवरण* एक समूह के वे वित्तीय विवरण हैं जिनमें मूल प्रतिष्ठान एवं इसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों की आस्तियां, दायित्व, इक्विटी, आय, व्ययों एवं नकदी प्रवाहों को एकल आर्थिक प्रतिष्ठान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

*इक्विटी विधि* लेखा की वह विधि है जिसके द्वारा निवेश को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशिती की निवल आस्तियों में निवेशक के अंश में अधिग्रहण के पश्चात् होने वाले परिवर्तन के समायोजित किया जाता है। निवेशिती के लाभ या हानि में जो निवेशक के लाभ या हानि का अंश है वह निवेशक के लाभ या हानि में शमिल होता है । और निवेशिती की अन्य व्यापक आय में जो निवेशक का अंश है वह निवेशक की अन्य व्यापक आय में शामिल होता है।

*एक संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों का संयुक्त नियंत्रण होता है ।*

*संयुक्त नियंत्रण* वह नियंत्रण है जिसमें एक व्यवस्था के नियंत्रण की भागीदारी अनुबंधात्मक रूप से सहमति होती है और यह केवल तभी आस्तित्व में आता है जब संबंधित गातिविधियों के बारे में लिये जाने वाले निर्णयों में सभी भागीदार नियंत्रक पक्षों (पार्टियों) की सर्वसम्मति आवश्यक होती है ।

*एक संयुक्त उद्यम* वह संयुक्त व्यवस्था है जिसमें व्यवस्था के नियंत्रक पक्षों (पार्टियों) का उस व्यवस्था की निवल आस्तियों पर अधिकार होता है ।

*एक संयुक्त उद्यमी संयुक्त उद्यम* का वह पक्ष (पार्टी) है जिसका उस संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण होता है ।

*महत्वपूर्ण प्रभाव* वह अधिकार है जिसमें निवेशिती के वित्तीय एवं परिचालन-संबंधी नीतिगत निर्णयों में साझेदारी तो होती है किन्तु उन नीतियों के ऊपर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है ।

4 निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण* के अनुच्छेद 4 तथा भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* के परिशिष्ट 'क' में दी गयी है और इस मानक में भी इनका प्रयोग भारतीय लेखा मानकों में विनिर्दिष्ट अर्थों में ही किया गया हैं:

- एक निवेशिती पर नियंत्रण
- समूह
- मूल प्रतिष्ठान
- पृथक वित्तीय विवरण
- अनुषंगी प्रतिष्ठान

## महत्वपूर्ण प्रभाव

5 यदि एक प्रतिष्ठान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (जैसेकि अनुषंगी प्रतिष्ठानों के माध्यम से), निवेशिती के मताधिकार का 20 प्रतिशत या इससे अधिक अधिकार धारण करता है तो यह मान लिया जाता है कि उस प्रतिष्ठान का निवेशिती में महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन तब जब यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो रहा हो कि ऐसी कोई स्थिति है । इसके विपरीत, यदि

प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (जैसेकि अनुषंगी प्रतिष्ठानों के माध्यम से), निवेशिती के मताधिकार का 20 प्रतिशत से कम अधिकार धारण करता है तो यह मान लिया जाएगा कि प्रतिष्ठान का निवेशिती में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है लेकिन तब जब ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नही किया जा सकता हो। यह जरूरी नही कि एक अन्य निवेशक का अधिकांश या बहुमत स्वामित्व एक प्रतिष्ठान को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने से रोके ।

6 किसी प्रतिष्ठान का महत्वपूर्ण प्रभाव आमतौर पर निम्नलिखित एक या एकसे अधिक तरीकों से प्रमाणित होता है:

(क) निवेशिती के निदेशक-मंडल अथवा इसके समकन किसी शासी निकाय में प्रतिनिधित्व;

(ख) लाभांशों अथवा अन्य वितरणों के बारे में लिये जाने वाले निर्णयों में भागीदारी सहित नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी;

(ग) प्रतिष्ठान तथा इसके निवेशिती के बीच सारवान लेन-देन;

(घ) प्रबंधकीय कार्मिकों में फेरबदल; अथवा

(ड) अनिवार्य तकनीकी सूचना का प्रावधान।

7 एक प्रतिष्ठान ऐसे शेयर वारंटों, शेयर कॉल विकल्पों, ऋण या 'इक्विटी' लिखतों का स्वामी हो सकता है जो साधारण शेयरों अथवा उसी प्रकार की अन्य लिखतों, में परिवर्तनीय हैं और इनको यदि प्रयोग किया जाए अथवा इन्हें परिवर्तित किया जाए तो इनमें अन्य प्रतिष्ठान के वित्तीय या परिचालन नीतियों पर प्रतिष्ठान को अतिरिक्त मताधिकार दिलाने या अन्य प्रतिष्ठान के मताधिकारों (जैसेकि संभावित मताधिकार) को कम करने का सामर्थ्य होता है। संभावित मताधिकारों का अस्तित्व और प्रभाव, जो वर्तमान में प्रयोग करने योग्य या परिवर्तनीय हैं, और जिसमें अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा धारित संभावित मताधिकार भी शमिल होते है, पर विचार तब होता है जब यह निर्धारित किया जा रहा हो कि प्रतिष्ठान का महत्वपूर्ण प्रभाव है अथवा नही। संभावित मताधिकार वर्तमान में प्रयोग करने योग्य या परिवर्तनीय नही होते हैं, जब, उदाहरणस्वरूप, इन्हें तबतक प्रयोग अथवा परिवर्तित नही किया जा सकता हो जबतक कि भावी तिथि आ न जाए अथवा भावी घटना घटित न हो जाए।

8 यह निर्धारित करने में कि संभावित मताधिकार महत्वपूर्ण प्रभाव में योगदान देता है या नही, प्रतिष्ठान प्रबंधन की मंशा एवं उन संभावित अधिकारों को प्रयोग करने अथवा परिवर्तित करने की वित्तीय क्षमता को छोडकर, उन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों की (संभावित

मताधिकारों का प्रयोग करने और अन्य अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं की शर्तों सहित, जिनपर व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से विचार किया गया हो)जांच करता है जो संभावित मताधिकारों को प्रभावित करते है ।

9 एक प्रतिष्ठान एक निवेशिती पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव खो देता है जब वह उस निवेशिती के वित्तीय तथा परिचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में सहभागी होने का अधिकार खो देता है। महत्वपूर्ण प्रभाव की हानि निरपेक्ष अथवा सापेक्ष स्वामित्व स्तरों के परिवर्तन के साथ या उसके बिना हो सकती है। यह तब हो सकता है, उदाहरण के लिए, जब एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) सरकार, न्यायलय, प्रशासक अथवा नियामक के नियंत्रणाधीन हो जाता है । ऐसा अनुबंधात्मक व्यवस्था के परिणामस्वरूप भी हो सकता है ।

## 'इक्विटी' विधि

10 'इक्विटी' विधि के अन्तर्गत, एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारम्भिक मान्यता पर लागत पर मान्यता दी जाती है तथा अधिग्रहण की तिथि के बाद निवेशिती के लाभ या हानि में निवेशक के हिस्से को मान्यता देने के लिए अग्रणीत रशि में बढोत्तरी या कमी की जाती है। निवेशती के लाभ या हानि में निवेशक के हिस्से को निवेशक के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। निवेशिती से प्राप्त वितरण, निवेश की अग्रणीत राशि को कम कर देते हैं। चूंकि निवेशिती की व्यापक आय में परिवर्तन के कारण, निवेशक का निवेशिती में आनुपातिक हित परिवर्तित हो जाता है, इसलिए भी अग्रणीत राशि में समायोजन आवश्यक हो सकता है। ऐसे परिवर्तनों में, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों के पुनर्मूल्यांकन तथा विदेशी विनिमय रुपान्तरण के अन्तरों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन शमिल होते हैं । उन परिवर्तनों में निवेशक के हिस्से को निवेशक की अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण*)।

11 प्राप्त वितरणों के आधार पर आय की मान्यता, एक निवेशक द्वारा सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश करने पर निवेशक द्वारा अर्जित आय का पर्याप्त माप नही हो सकता, क्योंकि, प्राप्त वितरण सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन से बहुत कम संबंध रखता है। चूंकि निवेशक का निवेशिती पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, अतः निवेशक का सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन में तथा, इसके परिणामस्वरूप, निवेश के प्रतिफल में हित है। निवेशक इस हित के लेखे के लिए अपने वित्तीय विवरणों के कार्य-क्षेत्र में विस्तार करता है और जिसमें वह निवेशिती के लाभ अथवा हानि में अपने हिस्से को शमिल करता

है। परिणामस्वरूप, 'इक्विटी' विधि का प्रयोग निवेशक की निवल आस्तियों तथा लाभ या हानि की रिपोर्टिंग को और अधिक सूचनापरक बनाता है ।

12 जब संभावित मताधिकार अथवा समाविष्ट संभावित मताधिकार युक्त अन्य व्युत्पन्न मौजूद होते हैं तब एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम में एक प्रतिष्ठान का हित केवल मौजूदा स्वामित्व हितों के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा संभावित मताधिकारों व अन्य व्युत्पन्न लिखतों का संभावित प्रयोग या परिवर्तन, जब तक अनुच्छेद 13 लागू न हो, प्रतिबिम्बित नहीं होता ।

13 कुछ परिस्थितियों में वस्तुतः एक प्रतिष्ठानों को, लेन-देन के परिणामस्वरूप एक मौजूदा स्वामित्व होता है जो उसे वर्तमान में स्वामित्व के हित से संबंधित प्रतिफल पाने की पहुँच देता हैं। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान को आबंटित अनुपात उन संभावित अधिकारों तथा अन्य व्युत्पन्न लिखतों के संभाव्य प्रयोग को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है जो प्रतिष्ठान को वर्तमान में प्रतिफल प्रदान होने की पहुँच देता है ।

14 भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें:*उन (एसोशिएट्स) सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में हितों पर लागू नही होता है जिनका लेखा 'इक्विटी' विधि द्वारा किया जाता है। वस्तुतः जब संभावित मताधिकार युक्त लिखतें सामान्यतयाः एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में स्वामित्व हित से संबंधित प्रतिफल पाने की पहुँच देती हैं तब वे लिखतें भारतीय लेखा मानक 109 के अधीन नही होती हैं । अन्य सभी मामलों में, एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में संभावित मताधिकार युक्त लिखतों का लेखा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार नहीं किया जाता है।

15 जब तक एक सहयोगी (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश या निवेश का एक भाग भारतीय लेखा मानक 105, '*बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन*' के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नही किया जाता है, तब तक निवेश या निवेश में प्रतिधारित किसी हित को, जिसे बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, गैर-चालू आस्ति के रूप में ही वर्गीकृत किया जाएगा ।

## 'इक्विटी' विधि का प्रयोग

16 एक निवेशिती पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला एक प्रतिष्ठान, उस निवेश को छोडकर जो अनुच्छेद 17-19 के अनुसार छूट के योग्य है, 'इक्विटी' विधि का

प्रयोग करते हुए एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में अपने निवेश का लेखा करेगा। ।

## इक्विटी विधि प्रयोग करने से छूट

17 एक प्रतिष्ठान को एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में अपने निवेश के लिए इक्विटी विधि का प्रयोग करने की आवश्यकता नही है यदि प्रतिष्ठान एक मूल प्रतिष्ठान है और उसे भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 4 (क) की कार्यक्षेत्र छूट के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की छूट प्राप्त है या फिर यदि निम्नलिखित सभी लागू होते हैं:-

(क) प्रतिष्ठान किसी अन्य प्रतिष्ठान की पूर्ण स्वामित्व में अनुषंगी प्रतिष्ठान या अंशतः स्वामित्व में अनुषंगी प्रतिष्ठान है, और अन्य स्वामियों उनके सहित जो मत देने के लिए अन्यथा पात्र नही हैं को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्हें कोई आपति भी नही है और वह प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग नही कर रहा है।

(ख) प्रतिष्ठान की ऋण (डेट) और इक्विटी लिखतें एक सार्वजनिक बाजार (पब्लिक मार्केट) में खरीदी या बेची नही जाती हैं। (यह सार्वजनिक बाजार स्थानीय व क्षेत्रीय बाजारों के साथ-साथ घरेलू या विदेशी स्टाक एक्सचेंज या ओवर-द-काउन्टर बाजार हो सकता है)।

(ग) प्रतिष्ठान ने प्रतिभूति आयोग या अन्य नियामक संगठन में, सार्वजनिक बाजार में लिखतों की कोई श्रेणी जारी करने के लिए, अपने वित्तीय विवरण न तो फाइल किये हैं और न ही फाइल करने की क्रिया कर रहा है।

(घ) प्रतिष्ठान का आधारभूत या मध्यवर्ती मूल प्रतिष्ठान अपने समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार करता है और वे सार्वजनिक प्रयोग के लिए उपलब्ध होते है।

18 जब एक प्रतिष्ठान ने किसी सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में निवेश धारित किया है या फिर निवेश को अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे प्रतिष्ठान के माध्यम से धारित किया है जो उद्यम पूंजी संगठन, या म्यूचल फंड, यूनिट ट्रस्ट और निवेश संबद्ध बीमा फंड्स सहित इसी प्रकार के प्रतिष्ठान है तब वह प्रतिष्ठान उन सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) या संयुक्त उद्यमों में किये गए उन निवेशों को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर माप करने के लिए चयन कर सकता है ।

19 जब एक प्रतिष्ठान का एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) में ऐसा निवेश होता है, जिसका एक अंश उद्यम पूंजी संगठन, या म्यूचल फंड, यूनिट ट्रस्ट और निवेश संबद्ध बीमा फंड्स सहित इसी प्रकार के प्रतिष्ठान है के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से धारित किया गया है, तब प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) में किये गए उस अंश को, इस पर ध्यान दिये बिना कि निवेश के उस अंश पर उद्यम पूंजी संगठन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव है या नही, भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य पर माप करने के लिए चयन कर सकता है। यदि प्रतिष्ठान ऐसा चयन करता है तो प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) में अपने निवेश के शेष अंश के लिए इक्विटी विधि को लागू करेगा जो कि उद्यम पूंजी संगठन के माध्यम से धारित नही की गयी है ।

## बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण

20 एक प्रतिष्ठान एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम में किए गए उस निवेश या निवेश के एक अंश पर भारतीय लेखा मानक 105 लागू करेगा जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किये जाने के मानदण्ड को पूरा करता है। एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम मेंकिये गये निवेश के किसी प्रतिधारित, अंश का, जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नही किया गया है, इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए तब तक लेखा किया जाएगा जब तक कि उस अंश का, जो बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत है, निपटान नही हो जाता है । निपटान हो जाने के बाद, एक प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम मे प्रतिधारित किसी हित का भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार तब तक लेखा करेगा जब तक कि प्रतिधारित हित एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम बना रहता है। इस मामले में, प्रतिष्ठान 'इक्विटी' विधि का प्रयोग करता है।

21 जब किसी सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में किया गया एक निवेश या निवेश का कोई अंश जिसे पहले बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अब बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किये जाने के मानदण्ड को पूरा नही करता है तब इसका बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की तिथि से ही पूर्वव्यापी प्रभाव से 'इक्विटी' विधि का प्रयोग करते हुए लेखा किया जाएगा। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण करने तक कि अवधियों के वित्तीय विवरणों को तद्नुसार संशोधित किया जाएगा।

## 'इक्विटी' विधि का प्रयोग बन्द करना

22 एक प्रतिष्ठान 'इक्विटी' विधि का प्रयोग उस तिथि से बन्द कर देगा जब वह निवेश निम्न प्रकार से एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम नही रहता :

(क) यदि निवेश एक अनुषंगी प्रतिष्ठान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो प्रतिष्ठान अपने निवेश का भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन,* तथा भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसार लेखा करेगा;

(ख) यदि पूर्ववर्त्ती सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में प्रतिधारित हित एक वित्तीय आस्ति है तो प्रतिष्ठान प्रतिधारित हित का उचित मूल्य पर माप करेगा। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रतिधारित हित के उचित मूल्य को एक वित्तीय आस्ति के रूप में प्रारम्भिक मान्यता पर इसका उचित मूल्य समझा जाएगा। प्रतिष्ठान निम्नलिखित के बीच किसी प्रकार के अन्तर को लाभ या हानि में मान्यता देगा : -

(i) सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में प्रतिधारित हित या हित के अंश के निपटान से प्राप्त राशियों का उचित मूल्य; और

(ii) जिस तिथि को इक्विटी विधि बन्द कर दी गई थी उस तिथि पर निवेश की अग्रणीत राशि ।

(ग) जब एक प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग बन्द कर देता है तब प्रतिष्ठान उस निवेश के संबंध में अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्यता-प्राप्त सभी राशियों का उसी आधार पर लेखा करेगा जैसाकि निवेशिती द्वारा संबंधित आस्तियों या दायित्वों को प्रत्यक्ष रूप से निपटान करने पर जरूरी होता है ।

23 अत:, यदि निवेशती द्वारा पूर्व में अन्य व्यापक आय में मान्यता लाभ (गेन) या हानि संबंधित आस्तियों या दायित्वों के निपटान के समय लाभ (प्रोफिट) या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता, तब प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग बन्द करने पर लाभ (गेन) या हानि को इक्विटी से लाभ (प्रोफिट) या हानि में (पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में) पुनर्वर्गीकृत करेगा। उदाहरण के लिए, यदि एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में विदेशी परिचालन से संबंधित संचयी विनिमय अन्तर है तथा प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग बन्द कर देता है तो प्रतिष्ठान विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ (गेन) अथवा हानि को लाभ (प्रोफिट)

अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत करेगा जिसे पूर्व विदेशी विनिमय के संबंध में अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी ।

24 **यदि एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) में किया गया निवेश एक संयुक्त उद्यम में निवेश बन जाए अथवा एक संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश बन जाए, तो प्रतिष्ठान इक्विटी विधि को लागू करना जारी रखेगा और प्रतिधारित हित का पुर्नमाप नही करेगा।**

## स्वामित्व हित में परिवर्तन

25 यदि किसी सहयोगी प्रतिष्ठान या किसी संयुक्त उद्यम में किसी प्रतिष्ठान के स्वामित्व हित में कमी कर दी जाती है, किन्तु, प्रतिष्ठान इक्विटी विधि का प्रयोग जारी रखता है तो प्रतिष्ठान लाभ (गेन) या हानि के उस अंश को लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत करेगा जो पूर्व में स्वामित्व हित में की गई कटौती (कमी) से संबंधित था और उसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे कि उस लाभ (गेन) या हानि को संबंधित आस्तियों या दायित्वों के निपटान पर लाभ (प्रोफिट) या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था।

## इक्विटी विधि की प्रक्रियाएँ

26 अधिकांश प्रक्रियाएं जो इक्विटी विधि को लागू करने के लिए उपयुक्त हैं, भारतीय लेखा मानक 110 में वर्णित समेकन प्रक्रियाओं की तरह ही हैं । इसके अतिरिक्त, अवधारणाओं से अंर्तनिहित प्रक्रियाएं, जो कि, अनुषंगी प्रतिष्ठान के अधिग्रहण के लेखे के लिए प्रयुक्त की गई है; एक सहयोगी प्रतिष्ठान या एक संयुक्त उद्यम में किये गए निवेश के अधिग्रहण के लेखे में भी अपनायी जाती है ।

27 एक सहयोगी प्रतिष्ठान या एक संयुक्त उद्यम में एक समूह का अंश मूल प्रतिष्ठान या इसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों द्वारा उस सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में धरिताओं का कुल जोड होता है । समूह के अन्य सहयोगी प्रतिष्ठानों या संयुक्त उद्यमों में धारिताओं को इस प्रयोजन के लिए नजर अन्दाज कर दिया जाता है। जब एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम के अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम होते हैं तब इक्विटी विधि को लागू करने के लिए उस लाभ अथवा हानि, अन्य व्यापक आय तथा निवल आस्तियों को हिसाब में लिया जाता है जिन्हें सहयोगी प्रतिष्ठानों या संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों में (सहयोगी प्रतिष्ठानों अथवा संयुक्त उद्यमों के लाभ अथवा हानि, अन्य

व्यापक आय इसके सहयोगी प्रतिष्ठानों अथवा संयुक्त उद्यमों की निवल आस्तियों के अंश सहित) एक समान लेखा नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए किसी प्रकार के आवश्यक समायोजनों के बाद, मान्यता दी गयी है (देखें अनुच्छेद 35 व 36 ।)

28 एक प्रतिष्ठान (अपने समेकित अनुषंगी प्रतिष्ठान सहित) और इसके सहयोगी प्रतिष्ठान तथा संयुक्त उद्यम के बीच आरोही व अवरोही ('अपस्ट्रीम' व 'डाउनस्ट्रीम') लेन-देनों से होने वाले लाभों (गेन) एवं हानियों को प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में केवल सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के निवेशक के असंबद्धित हितों तक की सीमा तक ही मान्यता दी जाती है। उदाहरणार्थ, आरोही (अपस्ट्रीम) लेन-देन, सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम से निवेशक को की गई आस्तियों की बिक्रियां होती हैं। इसी तरह, उदाहरणस्वरूप, अवरोही (डाउनस्ट्रीम) लेन-देन निवेशक से इसके सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम को की गई आस्तियों की बिक्रियां व अंशदान होते हैं। इन लेन-देनों के फलस्वरूप सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम को होने वाले लाभों (गेन) या हानियों में निवेशक के अंश को विलुप्त कर दिया जाता है।

29 जब अवरोही लेन-देन, विक्रय की जाने वाली अथवा अंशदान की जाने वाली आस्तियों के निवल वसूली-योग्य मूल्य में कमी अथवा उन आस्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि के प्रमाण देते हैं, तब उन हानियों को निवेशक द्वारा पूर्णतया मान्यता दी जाएगी। जब आरोही लेन-देन, खरीदी जाने वाली आस्तियों के निवल वसूली-योग्य मूल्य में कमी अथवा उन आस्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि के प्रमाण देते हैं, तब निवेशक उन हानियों में अपने अंश को मान्यता देगा।

30 एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम, में एक इक्विटी हित के बदले में एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम को गैर-मौद्रिक आस्ति के अंशदान का लेखा, उस स्थिति को छोडकर जब अंशदान में वाणिज्यिक तत्व का अभाव हो, अनुच्छेद 28 के अनुसार किया जाएगा । इस शब्द वाणिज्यिक तत्व का वर्णन भारतीय लेखा मानक 16 *संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण* में किया गया है। यदि ऐसे अंशदान में वाणिज्यिक तत्व का अभाव होता है तो लाभ (गेन) या हानि को अप्राप्त समझा जाता है और इसे तब तक मान्यता नही दी जाती है जब तक कि अनुच्छेद 31 भी लागू नही होता हो। ऐसी प्राप्त न हुए लाभों (गेन) या हानियों को इक्विटी विधि का प्रयोग करके उस निवेश के लेखा से विलुप्त कर दिया जाएगा ओर प्रतिष्ठान के समेकित तुलन-पत्र मे अथवा प्रतिष्ठान के तुलन-पत्र में, जिनमें निवेशों का लेखा इक्विटी विधि का प्रयोग करके किया जाता है, आस्थगित लाभों (गेन) या हानियों के रूप में प्रस्तुत नही किया जाएगा ।

31 एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में इक्विटी हित प्राप्त करने के अतिरिक्त, यदि एक प्रतिष्ठान मौद्रिक या गैर-मौद्रिक आस्तियां प्राप्त करता है तो प्रतिष्ठान प्राप्त मौद्रिक या गैर-

मौद्रिक आस्तियों से संबंधित गैर-मौद्रिक अंशदान पर हुए लाभ (गेन) अथवा हानि के अंश को पूर्णरूप से लाभ या हानि में मान्यता देता है ।

32 एक निवेश का लेखा इक्विटी विधि का प्रयोग करके उस तिथि से किया जाता है जब से वह एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम हो जाता है । निवेश के अधिग्रहण पर निवेश की लागत तथा निवेशिती की पहचान योग्य आस्तियों एवं दायित्वों के निवल उचित मूल्य में प्रतिष्ठान के अंश के बीच किसी अन्तर का लेखा निम्न प्रकार से किया जाएगाः -

(क) एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम से संबंधित साख (गुडविल) को निवेश की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है। उस साख के परिशोधन की अनुमति नही है।

(ख) निवेश की लागत पर निवेशिती की पहचान–योग्य आस्तियों अथवा दायित्वों के निवल उचित मूल्य में प्रतिष्ठान के हिस्से के किसी अतिरिक्त अंश को उस अवधि में आरक्षित पूंजी के रूप में इक्विटी में सीधे ही मान्यता दे दी जाती है जिस अवधि में निवेश अधिगृहीत किया गया है ।

अधिग्रहण के पश्चात्, सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के लाभ या हानि में प्रतिष्ठान के हिस्से के समायोजन, जैसे कि, अवक्षयी आस्तियों के अधिग्रहण की तिथि के उचित मूल्यों पर आधारित मूल्यह्रास का लेखा किया जाता है। इसी तरह, अधिग्रहण के पश्चात् सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के लाभ या हानि में प्रतिष्ठान के हिस्सें का उचित समायोजन क्षतिग्रस्तता हानियों के लिए किया जाता है, जैसेकि, साख अथवा संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की क्षतिग्रस्तता हानियों के लिए ।

33 **प्रतिष्ठान इक्विटी विधि के प्रयोग में सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के सर्वाधिक नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों का प्रयोग करता है। जब प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से भिन्न हो, तब सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम प्रतिष्ठान के प्रयोग के लिए अपने वित्तीय विवरणों को उसी तिथि के अनुसार तैयार करता है जो कि प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणो की हो, यदि यह करना अव्यावहारिक न हो ।**

34 **जब अनुच्छेद 33 के अनुसार, इक्विटी विधि को लागू करने में सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के उन वित्तीय विवरणों का प्रयोग किया जाता है जो प्रतिष्ठान द्वारा प्रयोग की गई तिथि से भिन्न तिथि पर तैयार किए गए है । तब दोनों तिथियों के बीच होने वाले महत्वपूर्ण लेन-देनों अथवा घटनाओं के प्रभावों का समायोजन किया जाएंगा । किसी भी मामलें में सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तथा**

**प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बीच तीन महीने से अधिक का अन्तर नहीं होगा। रिपोर्टिंग अवधियों का विस्तार तथा रिपोर्टिंग अवधियों की समाप्तियों के बीच का अन्तर एक अवधि-से-दूसरी तक एक-जैसा ही होगा ।**

35 **प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण एक-जैसी परिस्थितियों में, एक-जैसे लेन-देन तथा एक-जैसी घटनाओं के लिए समरूप लेखा नीतियों का प्रयोग करते हुए तब तक तैयार किए जाएंगे जब तक कि एक सहयोगी प्रतिष्ठान के मामले में, ऐसा करना अव्यवहारिक न हो ।**

36 यदि एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम एक - समान परिस्थितियों में एक-जैसे लेन-देनों अथवा एक-जैसी घटनाओं के लिए प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों से भिन्न लेखा-नीतियों का प्रयोग करता है तो सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम की लेखा नीतियों को प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के समरूपी बनाने के लिए, तब समायोजन किए जाएगें जब सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण प्रतिष्ठान द्वारा इक्विटी विधि लागू करने के लिए प्रयोग किए जाते है।

37 यदि एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम के पास बकाया संचयी अधिमान शेयर हैं जो प्रतिष्ठान से भिन्न पार्टियों द्वारा धारित हैं और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत हैं, तो प्रतिष्ठान ऐसे शेयरों पर लाभांशों के समायोजन के बाद लाभ या हानि के अपने अंश की गणना करता है, भले ही ये लाभांश घोषित किये गये हों या नहीं ।

38 यदि सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम की हानियों में प्रतिष्ठान का अंश, सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में इसके हित के समान या अधिक होता है तो प्रतिष्ठान आगे की हानियों के अपने अंश को मान्यता देना बंद कर देता है। सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम में हित उस सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में निवेश की अग्रणीत राशि होती है जिसे इक्विटी विधि के प्रयोग के साथ-साथ किन्ही दीर्घकालिक हितों, जो वास्तव में प्रतिष्ठान के सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में निवल निवेश का अंश हैं, के आधार पर निश्चित किया जाता है। उदहारण के लिए, एक मद, जिसके लिए निपटान न तो योजनागत्त है और न ही निकट भविष्य में उसके निपटान की कोई संभावना है, वास्तव में उस सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिष्ठान के निवेश का विस्तार है। ऐसी मदों में अधिमान शेयरों तथा दीर्घकालिक प्राप्य राशियां अथवा ऋणों को तो शामिल किया जा सकता हैं, किन्तु व्यापार से प्राप्य राशियां, व्यापार की देय राशियां अथवा ऐसी कोई दीर्घकालिक प्राप्य राशियों, को, जिसके लिए पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति विद्यमान है, जैसे कि, जमानती ऋण, शमिल नही किया जाता। सामान्य शेयरों में प्रतिष्ठान के निवेश के अधिक्य में इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए मान्य हानियां प्रतिष्ठान के हित के अन्य

घटकों पर एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में उनकी वरीयता के विपरीत क्रम में (अर्थात् परिसमापन को प्राथमिकता) प्रयोग में लायी जाती हैं ।

39 प्रतिष्ठान के हित के शून्य हो जाने के बाद केवल उस सीमा तक अतिरिक्त हानियों का प्रावधान किया जाता है और दायित्व को मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक प्रतिष्ठान ने विधिक या प्रलक्षित बाध्यताओं को ग्रहण कर लिया है अथवा उसने सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान कर दिया है। यदि सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम बाद में लाभों को रिपोर्ट करता है तो प्रतिष्ठान उन अपने हिस्से के लाभों में तभी मान्यता देता है जब लाभों में उसका हिस्सा अमान्य हानियों में उसके हिस्से के समान हों ।

## क्षतिग्रस्तता हानियां

40 अनुच्छेद 38 के अनुसार सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) अथवा संयुक्त उद्यम की हानियों को मान्यता देने के साथ-साथ इक्विटी विधि को लागू करने के बाद, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 41क-41ग का प्रयोग करता है यह निर्धारित करने के लिए करता है कि क्या यह ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण है कि सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में उसका निवल निवेश क्षतिग्रस्त तो नही है।

41 प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 में दी गयी क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं को सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम में अपने उन हितों पर लागू करता है जो इस लेखा मानक भारतीय लेखा मानक 109 के कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत हैं और जिनका निवल निवेश में कोई अंश नही है।

41क एक सहयोगी प्रति5ष्ठान या संयुक्त उद्यम में निवल निवेश क्षतिग्रस्त है और क्षतिग्रस्तता हानियां तब होती हैं जब और केवल जब उस क्षतिग्रस्तता का स्पष्ट प्रमाण है जो एक निवल निवेश (एक हानि की घटना) की प्रारंभिक मान्यता के बाद हुई एक या एक से अधिक घटनाओं के फलस्वरूप है और उस हानि की घटना अथवा घटनाओं का प्रभाव विश्वसनीय रूप से प्राक्कलित किये जाने वाले निवल निवेश के अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों पर पडता है। यह संभव नही है कि उस एक अलग घटना का पता लगया जाए जिससे कि क्षतिग्रस्तता होती है। बल्कि, अनेक घटनाओं के मिश्रित प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्तता हो सकती है। भावी घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रत्याशित हानियां चाहे उनका होना कितना भी संभावित हो, को मान्यता नही दी जाती है। निवल निवेश क्षतिग्रस्तता के वस्तुनिष्ठ प्रमाण में दृष्टिगोचर आंकडे (डाटा) शामिल होते हैं जो निम्नलिखित हानि घटनाओं के प्रति प्रतिष्ठान का ध्यान आकर्षित करते है:-

(क) सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;

(ख) सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करना, जैसेकि, भुगतानों में चूक या टाल-मटोल करना;

(ग) उस आर्थिक या कानूनी कारणों जिनसे सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम को वित्तीय कठिनाई हुई है, प्रतिष्ठान द्वारा सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम को वह रियायत देना जो प्रतिष्ठान अन्यथा देने का विचार नही करता;

(घ) इसकी संभावना है कि सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम या तो दिवालियापन के कगार पर है या उसका कोई अन्य वित्तीय पुनर्गठन हो सकता है ; या

(ड.) सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की वित्तीय कठिनाईयों के चलते निवल निवेश के सक्रिय बाजार का गायब हो जाना ।

41ख चूंकि सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की इक्विटी या वित्तीय लिखतें सार्वजनिक रूप से खरीदी-बेची नही जा रही हैं और इस लिए सक्रिय बाजार गायब होना, यह क्षतिग्रस्तता का प्रमाण नही है। एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या उसके उचित मूल्य में कमी भी क्षतिग्रस्तता का प्रमाण नही है लेकिन इस अन्य उपलब्ध सूचना के साथ क्षतिग्रस्तता का प्रमाण समझा जा सकता है।

41ग अनुच्छेद 41 क में दी गयी घटनाओं के प्रकार के अतिरिक्त सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की इक्विटी लिखतों में निवल निवेश की क्षतिग्रस्तता के वस्तुनिष्ठ प्रमाण में प्रौद्योगिकी बाजार आर्थिक या कानूनी परिवेश, जिनमें कि वह सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम परिचालन करता है और यह संकेत करते है कि इक्विटी लिखत की निवेश लागत भी वसूल नही होगी। एक इक्विटी लिखत में निवेश के उचित मूल्य में एक महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालिक गिरावट जिससे वह उचित मूल्य इसकी लागत से नीचे हो जाता है, यह भी क्षतिग्रस्तता का वस्तुनिष्ठ प्रमाण है ।

42 क्योंकि साख (गुडविल), जो एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में किये गए निवल निवेश की अग्रणीत्त राशि का भाग होती है, उसे अलग-से मान्यता नही दी जाती है, इसलिए, भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता* में साख की क्षतिग्रस्तता की जांच की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए क्षतिग्रस्तता की जांच अलग-से नही की जाती है। इसके बजाय, जब कभी भी अनुच्छेद 41क-41ग का प्रयोग यह दर्शाता है कि निवल निवेश क्षतिग्रस्त हो सकता है, निवेश की समस्त अग्रणीत राशि को भारतीय लेखा मानक 36 के

अनुसार क्षतिग्रस्तता के लिए एकल आस्ति के रूप में इसकी अग्रणीत राशि के साथ इसकी वसूली योग्य राशि***(प्रयोग मूल्यो तथा विक्रय लागत घटा कर उचित मूल्य में से, जो भी अधिक है)*** की तुलना करके जांच की जाती है। उन परिस्थितियों में साख (गुडविल) सहित मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्तता हानि किसी उस आस्ति को आबंटित नहीं होता है जो सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में किए गए निवल निवेश की अग्रणीत राशि का भाग होती है। तदनुसार, उस क्षतिग्रस्तता हानि का कोई विपर्याय (उलटाव) भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार उस सीमा तक मान्य होता है जिस तक निवल निवेश की वसूली-योग्य राशि बाद में बढती है। निवल निवेश का प्रयोग किए जा रहे मूल्य का निर्धारण करते समय प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्राक्कलन करता है:

(क) सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के परिचालनों से नकदी प्रवाहों सहित सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम द्वारा उत्पादित होने वाले प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य में इसका भाग तथा निवेश के अन्तिम निपटान से होने वाली प्राप्तियां; या

(ख) निवेश से प्राप्त होने वाले लाभांशों तथा इसके अन्तिम निपटान से उत्पन्न प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य।

उपयुक्त अवधारणाओं का प्रयोग करने पर, दोनों विधियां एक-ही परिणाम देती हैं।

43 एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में किये गए निवेश की वसूली-योग्य राशि प्रत्येक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के लिए तब तक निर्धारित की जाएगी जब तक कि सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम निरंतर प्रयोग से ऐसे नकदी अंतर्प्रवाह पैदा नहीं करता है जो मुख्य रूप से प्रतिष्ठान की अन्य आस्तियों से स्वतंत्र होते हैं ।

## पृथक वित्तीय विवरण

44 एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश भारतीय लेखा मानक 27 के अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में लेखा किया जाएगा।

# परिशिष्ट 1

*टिप्पणी: यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नही है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन केवल भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28, सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएटों) तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश और अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तद्नुरूपी अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (*आई ए एस) *28, सहयोगी प्रतिष्ठानो तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश* के बीच प्रमुख अन्तरों को, यदि कोई हों, स्पष्ट करना है:

## अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 28, *सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश* के साथ तुलना

1 अनुच्छेद 32 (ख) को भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन के* अनुसार संशोधित किया गया है जिसमें निवेश की लागत पर निवेशिती की पहचान योग्य आस्तियों एवं दायित्वों के निवल उचित मूल्य में निवेशक के अंश के अधिशेष को आरक्षित पूंजी में अन्तरित किया जाता है। जबकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 28 में इसे लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है ।

2 भारतीय लेखा मानक 28 का अनुच्छेद 35 एक-समान लेखा नीतियों के प्रयोग की अपेक्षा करता है, जब तक कि एक सहयोगी प्रतिष्ठान के मामलें में यह अव्यवाहारिक न हो। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 28 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योकि निवेशक का सहायक प्रतिष्ठान पर 'नियंत्रण' नही होता है। यह सहयोगी प्रतिष्ठान को अतिरिक्त वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रभावित नही कर सकता अथवा उससे यह भी अपेक्षा नही कर सकता कि वह सहयोगी प्रतिष्ठान उन लेखा नीतियों का पालन करें जिनका वह अनुसरण करता है।

3 इस लेखा मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जोकि मौजूदा कानून में प्रयोग होती है, जैसेकि, शब्द 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' का प्रयोग किया गया है ।